



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या 17844/2025

मीनाक्षी सक्सेना

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता	: रजनीश सही सक्सेना
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश सहाय सक्सेना और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पति, पुष्कर कमर सक्सेना, को 17.09.1988 को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था और उनकी सेवा के दौरान 28.04.2024 को मृत्यु हो गई। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पति को 17.09.2002 से प्रभावी 14 वर्ष पूरे होने के बाद 25.09.2010 को प्रथम एसीपी (प्राथमिक सहायक) का पद दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, अब याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी से 14,57,457/- रुपये की राशि काट ली गई है।
- प्रतिवादियों के उक्त कृत्य और चूक पर सवाल उठाते हुए, यह रिट याचिका दायर की गई है।
- दिनांक 30.01.2026 को रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षरों से दिनांक 11.02.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के पति को मिलने वाले लाभ प्रदान किए गए और प्रतिवादियों के अनुसार एक समिति का गठन किया गया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के पति को 3200-85-4500 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 4000-100-6000 रुपये का वेतनमान दिया जाना था, लेकिन वास्तव में 4500-125-7000 रुपये का भुगतान किया गया। रिपोर्ट 10.04.2024 को प्रस्तुत की गई और याचिकाकर्ता के पति का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



28.04.2024 को निधन हो गया। इस बात की सूचना याचिकाकर्ता को दी गई थी और इसीलिए वसूली की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता के पति ने याचिकाकर्ता की बात पर विचार करने के बाद नोटिस दिया और फैसला सुनाया। उनका कहना है कि अब याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता के पति के मामले में, विवादित कटौती की गई थी।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर यह तर्क दिया कि नियोक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते समय त्रुटियों को सुधारने की छूट है, लेकिन उनके अनुसार, निर्देशों से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता के पति को नोटिस दिया गया था।

6. मैंने हार के उस पार से प्राप्त दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता के पति, जो लैब असिस्टेंट हैं, की मृत्यु 28.04.2024 को हुई थी। रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिनांक 11.02.2026 के निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादियों द्वारा 16.02.2024 को गठित समिति के आधार पर याचिकाकर्ता को लाभ प्रदान किए गए, जो उनकी पात्रता के अनुरूप थे, विशेष रूप से तब जब 17.09.2002 को याचिकाकर्ता के पति को 3200-85-4500 रुपये के लाभ के स्थान पर 4000-100-6000 रुपये के बजाय 4500-125-7000 रुपये दिए गए थे और समिति ने 10.04.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, हालांकि, याचिकाकर्ता के पति को इसकी सूचना नहीं दी गई और उनकी मृत्यु के बाद वसूली की गई।

8. न्यायालय की राय में, चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला है, और इसके अलावा, ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता को इस बारे में सूचित किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता के पति का पहले ही निधन हो चुका है, इसलिए इस संबंध में समय को फिर से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

9. तदनुसार, वसूली नहीं की जा सकती थी। फलस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 को तीन महीने की अवधि के भीतर 14,57,457 रुपये की राशि वापस करने का आदेश जारी किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आज दाखिल किए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

फरवरी 16, 2026

एस. एन. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”